रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272847
CG-DL-E-25052026-272847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948
No. 364]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 405(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (वर्ष 2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (ण), (थ), (न), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिख नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम *राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026* है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से *राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (वर्ष 2025 का 25)* अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार नियुक्त अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) "*खोज-सह-चयन* समिति" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित *खोज-सह-चयन समिति* अभिप्रेत है; और

(ङ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय खेल अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल.- (1) अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(2) सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन.- (1) खोज-सह-चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 17 के अनुसरण में इसके द्वारा सिफारिश किया गया कोई भी पैनल इस निर्धारण पर आधारित हो की ऐसे व्यक्ति-

(क) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के लिए मानदंडों को पूरा करते हो;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए गए हो; और

(ग) कोई वित्तीय या अन्य हित न हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

5. अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के लिए चयन.- (1) नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए अध्यक्ष और सदस्य एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन पर खोज-सह-चयन समिति द्वारा धारा 17 की उप-धारा (5) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से विचार किया जाएगा, अधिमानतः, ऐसी समिति द्वारा सूचिबद्ध सभी व्यक्तियों के साथ जैसा कि मूल नियुक्ति के लिए किया गया था।

(3) किसी पद के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करते समय, खोज-सह-चयन समिति अधिकरण में अपने अनुभव के लिए पुनर्नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त महत्व देगी और ऐसा करते समय, अधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम करते समय व्यक्ति के प्रदर्शन को ध्यान में रखेगी।

6. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र.- यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या संगठित सेवा का सेवारत सदस्य है, वह न्यायाधिकरण में शामिल होने से पहले या तो अपने मूल सेवा से त्यागपत्र दे देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा।

7. अधिकरण से त्यागपत्र.- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) अध्यक्ष या ऐसा सदस्य, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय से पहले पद छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या जब तक कि उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

8. रिक्ति.- केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण हुई किसी भी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।

9. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन.- (1) अध्यक्ष को प्रति माह दो लाख पचास हजार रुपये (निर्धारित) का वेतन प्राप्त होगा।

(2) अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह दो लाख पच्चीस हजार रुपये (निर्धारित) का वेतन प्राप्त होगा।

(3) यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा ली गई पेंशन की कुल रकम कम कर दी जाएगी।

10. अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते.- (1) अध्यक्ष और सदस्य, ऐसे भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समान वेतन वाले समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के अधिकारी को मिलते हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष और सदस्यों के पास केंद्रीय सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास या मकान किराए की प्रतिपूर्ति का विकल्प होगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों को शासकीय प्रयोजनों के लिए यात्रा हेतु स्टाफ कार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि उन सुविधाओं के अनुरूप होगी जो किसी केंद्रीय सरकारी अधिकारी को, समान वेतन वाले समूह 'क' पद पर, स्टाफ कार नियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत हैं।

11. पेंशन, भविष्य निधि और उपदान.- (1) जहाँ अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, अधिकरण में नियुक्ति के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश हों अथवा सरकारी सेवा में हों-

(क) अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा पेंशन हेतु गिनी जाएगी, जो उस सेवा या पद के नियमों के अनुसार होगी जिससे वे संबंधित हैं; और

(ख) वे सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएँ) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होंगे।

(2) अन्य सभी मामलों में, सदस्यों को अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

(3) अधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान स्वीकृत नहीं होगी।

12. छुट्टी.- (1) निम्नलिखित मामलों में छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी -

(क) अध्यक्ष के लिए, केंद्रीय सरकार; और

(ख) सदस्यों के लिए, अध्यक्ष;

होंगे ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य प्रत्येक सेवा वर्ष में तीस दिन के अर्जित अवकाश के पात्र होंगे।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों को एक कैलेंडर वर्ष में प्रदान किया जाने वाला आकस्मिक अवकाश आठ दिन से अनधिक नही होगा।

(4) अवकाश के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्य अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश नकदीकरण के पात्र होंगे, बशर्ते कि अधिकतम अवकाश नकदीकरण, जिसमें पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी सम्मिलित होगी, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

13. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपने पदभार ग्रहण करने से पूर्व तथा वार्षिक आधार पर अपनी आस्तियों, देनदारियों, वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा उस प्ररूप और विधि में करेंगे, जैसा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, तथा यह प्रतिज्ञा करेंगे कि उनका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जो अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में उनके कर्तव्यों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखता हो।

14. सेवा की अन्य शर्तें.- (1) अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जो समान वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' पदधारी भारत सरकार के अधिकारी पर लागू होती है।

(2) अध्यक्ष और सदस्य-

(क) अधिकरण से सेवा निवृत्ति के बाद अधिकरण के समक्ष वकालत नहीं करेंगे;

(ख) अधिकरण में अपने-अपने पदों पर कार्य करते समय कोई माध्यस्थम् का कार्य नहीं करेंगे; और

(ग) पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक, किसी व्यक्ति, राष्ट्रीय खेल निकाय, समिति, क्लब या संघ के प्रबंधन या प्रशासन में, जो अधिनियम द्वारा शासित है, कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे।

(3) उप-नियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी कानूनी प्राधिकरण, किसी निगम जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी।

15. शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.- अध्यक्ष या सदस्य, के वेतन, भत्ते या सेवा की निबंधन और शर्तों में, जैसा भी मामला हो, उनकी नियुक्ति के बाद उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

16. पद और गोपनीयता की शपथ.- प्रत्येक व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जाता है, वह पद ग्रहण करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

17. अधिकरण की शक्तियाँ.- (1) अधिकरण न्याय के उद्देश्य की पूर्ति या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और अधिनियम की धारा 24 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, अधिकरण को किसी भी कार्यवाही के संबंध में, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसमें व्यादेश या स्थगन प्रदान करना भी शामिल है।

18. आदेश का प्रवर्तन.- (1) अधिनियम के अनुसार अधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश उसी प्रकार निष्पादित किया जा सकेगा जैसे वह किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री हो।

(2) अधिनियम के अनुसार अधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने पर, अंतिम डिक्री माना जाएगा।

19. तकनीकी-विधिक उपाय.- (1) केंद्रीय सरकार इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) विवादों, सूचनाओं, प्रत्युत्तरों, दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों तथा ऐसे प्रस्तुतियों से संबंधित प्ररूपों का प्रस्तुतिकरण;

(ख) अधिकरण के कार्यालय से पत्राचार;

(ग) अधिकरण के आदेशों का प्रकाशन;

(घ) आभासी माध्यम से सुनवाई; और

(ङ) मामलों, कार्यवाहियों, आदेशों, प्ररूपों और इन नियमों के अधीन अन्य आवश्यकताओं का अभिलेख रखना।

(2) पोर्टल के अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, अधिकरण के आदेश डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे और सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित किए जाएंगे।

[फा. सं. 12-12/2025 जीओवी-1 (खंड-II)]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 405(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (o), (q) and (t) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Sports Governance (National Sports Tribunal) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Tribunal appointed in accordance with sub-section (4) of section 17 of the Act;

(c) "Member" means a Member of the Tribunal appointed in accordance with sub-section (4) of section 17 of the Act;

(d) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee as provided under sub-section (4) of section 17 of the Act; and

(e) "Tribunal" means the National Sports Tribunal constituted under sub-section (1) of section 17 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Term of office of Chairperson and Members. — (1) The Chairperson shall hold office for a term of five years or till he attain the age of seventy years, whichever is earlier.

(2) The Members shall hold office for a term of five years or till they attain the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

4. Selection for appointment of Chairperson and Members. — (1) The Search-cum-Selection Committee shall ensure that any panel recommended by it pursuant to section 17 of the Act, is on an assessment that such persons –

(a) satisfy the criteria for Chairperson or Member as specified in sub-section (2) and sub-section (3) of section 17 of the Act;

(b) are declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf; and

(c) do not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially the functions as Chairperson or Member, as the case may be.

5. Selection for re-appointment of Chairperson and Members. — (1) Subject to the age-limit specified under rule 3, the Chairperson and Members shall be eligible for re-appointment for one more term.

(2) An application for re-appointment shall be considered by the Search-cum-Selection Committee in the same manner determined pursuant to sub-section (5) of section 17, as that for the original appointment, preferably, along with all the persons shortlisted by such Committee.

(3) While making its assessment for suitability to a post, the Search-cum-Selection Committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a Chairperson or a Member in the Tribunal.

6. Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member. — Where the person appointed as a Chairperson or a Member is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of an organised service, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent service before joining the Tribunal.

7. Resignation from the Tribunal. — (1) The Chairperson or any Member of the Tribunal may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign from his office at any time.

(2) The Chairperson or such Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

8. Vacancy. — The Central Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy, including by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member, or within three months before the end of tenure of the Chairperson or Member, make a reference to the Search-cum-Selection Committee for filling up of the vacancy.

9. Salary of the Chairperson and Members. — (1) The Chairperson shall be entitled to receive salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) Each Member, other than the Chairperson, shall be entitled to receive salary of rupees two lakh twenty- five thousand (fixed) per month.

(3) In case a person appointed as the Chairperson, or Member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the amount gross of pension drawn by him.

10. Allowances of the Chairperson and Members. — (1) The Chairperson and Members shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson and Members shall have the option to avail accommodation to be provided by the Central Government or reimbursement of house rent, in accordance with the extant rules of the Central Government.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Central Government officer holding Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of the Staff Car Rules.

11. Pension, provident fund and gratuity. — (1) Where a Chairperson or any Member, as the case may be, is a serving judge of the Supreme Court or a High Court or a person in the service of the Government, at the time of his appointment to the Tribunal –

(a) the service rendered by him in the Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service or office to which he belongs; and

(b) he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(2) In all other cases, the Members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.

12. Leave. — (1) The leave sanctioning authority in case of the –

(a) Chairperson, shall be the Central Government; and

(b) Members, shall be the Chairperson.

(2) The Chairperson and the Members shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(3) Casual Leave not exceeding eight days in a calendar year may be granted to the Chairperson and the Members.

(4) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(5) The Chairperson and the Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not exceed the prescribed limit under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

13. Declaration of financial and other interests. — (1) The Chairperson and each of the Members shall, before entering upon his office, and on an annual basis, declare his assets, liabilities, financial and other interests, in the form and manner as specified by the Department of Personnel and Training, in respect of the Central Government employees and undertake that he does not have any such financial and other interest as is likely to prejudicially affect his functions as Chairperson or Member, as the case may be.

14. Other conditions of service. — (1) The terms and conditions of service of the Chairperson, or any Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) The Chairperson and the Members shall not –

(a) practice before the Tribunal, after retirement from the service of the Tribunal;

(b) undertake any arbitration assignment while functioning in their respective capacities in the Tribunal; and

(c) for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of any person, National Sports Body, committee, club or association who is governed by the Act.

(3) Nothing contained in clause (c) of sub-rule (2) shall apply to any employment under the Central Government, State Government, local authority, any statutory authority, any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act, or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

15. Conditions not to be varied. — The salary, allowances, or the terms and conditions of service of the Chairperson or Member, as the case may be, shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

16. Oath of office and secrecy. — Every person appointed as the Chairperson or Member, as the case may be, shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, in the form and manner as may be specified by the Central Government.

17. Powers of the Tribunal. — (1) The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary to meet the ends of justice or prevent abuse of process.

(2) Subject to the provisions of section 20 of the Act, and in addition to the powers as specified in section 24 of the Act, the Tribunal shall have the power to pass an interim order, including granting an injunction or stay, after providing the parties concerned an opportunity of hearing, in respect of any proceedings under the Act.

18. Enforcement of order. — (1) Any order made by the Tribunal in accordance with the Act shall be executable in the same manner as if it were a decree of a civil court.

(2) Any order made by the Tribunal in accordance with the Act shall be deemed to be a final decree on the expiry of the period allowed for preferring an appeal against such order.

19. Techno-legal measures. — (1) The Central Government may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for –

(a) submission of disputes, notices, responses, documents and clarifications, and forms as may be specified with regard to such submissions;

(b) communications from the office of the Tribunal;

(c) publication of orders of the Tribunal;

(d) hearings by virtual mode; and

(e) maintaining a record of the cases, proceedings, orders, forms, and any other requirements under these rules.

(2) After notification of the portal, the orders of the Tribunal shall be digitally signed and shall be conveyed through electronic mode to all parties.

[F. No. 12-12/2025 Gov-1 (Vol-II)]

KUNAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA